

## कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक सं0: 1336 /26-1,

मुनिकीरेती,

दिनांक

02 / 01 /2023

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद-दिहरी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या-605/2014 के अन्तर्गत विघानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य 4.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यार्वन (Online No. FP/UK/ROAD/144340/2021)

सन्दर्भः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक—8बी०/यू० सी०पी०/06/39/2022/एफ०सी०/1102 दिनांक—10.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित से इंगित कमियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, के द्वारा अपने पत्रांक 1644/12-1 दिनांक 21/12/2022 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित किया जा रहा है :--

क0सं0	आपत्ति	
to be and t admin the parity in the proper bypas Chard not n Gove	bely to point no-1,2&3. the villages mentioned benefited are already connected with the road he same is also visible in the KML file. The nistrative approval for the proposed road is of year 2014 after which, the Char Dham ojna has been implemented in the State i.e., e year 2016 Therefore, reason stated for the osed road i.e, the proposed road will act as as for Chardham road is not justified as the dham road is already upgraded and there is need to construct a new bypass road. State rement is requested to submit the detailed ments on this view.	हिन्द हस्त कुल के लम्ब किए मिटि पड़त मिरि पड़त मिरि पड़त मिरि पड़त मिरि पड़त मिरि हम

निराकरण न्दु संख्या-01 के कम में अवगत कराया गया है कि वन भूमि तान्तरण हेत् मार्ग की लम्बाई 7.250 कि0मी0 है, जबकि मार्ग की ल वास्तविक लम्बाई 23.00 कि0मी0 है। कुल 23.00 कि0मी0 लम्बाई सापेक्ष शिवप्री जो कि NH-58 पर पड़ता है, से 10.00 कि0मी0 म्बाई में जाजल की ओर निर्मित किया जा चुका है। इस 10.00 oमीo लम्बाई में शिवपुरी,नोडू, बधान, गढसेरा, धौड़ियागला कठिया, टैयाला ग्राम सभा लाभान्वित हुयी है एवं जाजल जो कि NH-94 पर ता है से 5.750 कि0मी0 लम्बाई में जाजल से शिवप्री की ओर र्मित किया जा चुका है, जिससे ग्राम सभा जाजल, लम्याली हाडीसेरा यक्ष रूप से लाभान्वित है प्रस्तावित लम्बाई 7.250 कि0मी0 की वन में हस्तान्तरण प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त ग्राम सभा बयासी भगोडी, मधार रौन्देली, ढाईगला प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे एवं इस मार्ग निर्माण से अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम डिंडोली, कुंड, बड्हल अदवाणी ासार गांव, आमसारी छोटी बेरनी, लमोली, खरसारी, अमोला, खरी तलाई, लमधार चिल्वैखाल, मानसेरा, गोरगांव लाभान्वित होंगे ग्रामों निवासरत जनता जिनकी कुल आबादी लगभग 3560 है को शिवपुरी/ऋषिकेश पहुँचने हेत् ३४.०० कि०मी० कम दूरी तय करनी होगी। यह मोटर मार्ग NH-58 ,oa NH-94 को सीधे 34.00 कि0मी0 कम दूरी के साथ सीधे रूप से जोड़ता है। वर्षाकाल में छ+.94 के अवरुद्ध हो जाने से ऋषिकेश आने वाले वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में NH-94 के कि0मी0 32 (भिन्न) में मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात ०६ दिन प्रभावित रहा है इस प्रकार यह मार्ग NH-58 एवं NH-94 के मध्य एक बाईपास मार्ग का कार्य करेगा एवं वर्षाकाल/जाम की स्थिति/चारधाम यात्रा/स्थानीय मेले इत्यादि में वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करेगा मार्ग के निर्माण से

		शिवपुरी एवं जाजल के मध्य 34.00 कि0मी0 की दूरी कम होने के कारण मार्ग से प्रत्येक वर्ष लगभग 3618.78 लाख रूपये के वाहन ईधन की बचत होगी जिसकी गणना संलग्न-1 में दर्षायी गयी है वर्तमान में शिवपुरी में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का एक रेलवे स्टेषन भी प्रस्तावित है इस कारण उपरोक्त सभी ग्राम सभाओं को रेलवे स्टेशन
		तक पहुँचने हेतु कम दूरी तय करनी होगी, जिससे क्षेत्र के विकास में प्रगति होगी। (संलग्न–1)
2	In reply to point no-5, State Govt. has informed that proposal with no. FP/UK/ROAD/13565/2015 has already been rejected in the past since 1269 trees were affected by the proposal. Now, the present proposal which affects 952 trees is also not justifiable. State Govt is requested to submit the clarification to the observation raised in point No.5 the EDS letter dt. 08.06.2022	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि मार्ग की स्वीकृति डबल लेन के लिये हुई थी परन्तु प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/13565/2015 में 09 मीटर चौड़ाई में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 1269 थी, इसलिय अधिक वृक्ष होने के कारण प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था जिसके कम में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये मौखिक निर्देशों के कम में मार्ग का निर्माण डबल लेन से 1.50 लेन हेतु यह प्रस्ताव 7.00 मीटर चौड़ाई में पेड़ों की गणना की गई जिसमें 952 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है। किसी भी प्रकार वृक्षों की संख्या को इससे कम किया जाना सम्भव नहीं है।
3	In reply to point no.6, proceedings of SDLC are still not uploaded State Government is requested to upload the proceedings of Sub-Divisional level Committee meeting.	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि उप खण्ड स्तरीय समिति की बैठक के अभिलेख, ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के भाग-1 के एडिशनल कॉलम के कम सं० ४४ पर अपलोड कर दिया गया है जिसकी छाया प्रति मय संलग्नकों के प्रेषित किये जा रहे है। (संलग्नक-2)
4	In reply to point 7, details of villages are not mentioned at para B 2.3, which is required to be done.	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली समस्त भूमि आरक्षित वन भूमि है। समरेखण में किसी भी प्रकार की ग्राम पंचायत/वन पंचायत/नाप भूमि प्रभावित नहीं होती है। इस कारण village wise Breakup का विवरण अंकित नहीं किया गया है।
5	In reply to point no. 8 CA area has inspected by the Van Beat Officer, which was required to be done by the DFO personally.	बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 9.38 है0 ग्रामी-हाडीसेरा, पटटी-कुजणी पटवारी क्षेत्र ओडाडा, तहसील-गजा टिहरी गढवाल की सिविल सोयम भूमि में प्रस्तावक विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के सक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा दिनांक-24.09.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिससे उपरोक्त क्षेत्र 1000 पौध प्रति है0 की दर से क्षतिपूरक वनीकरण हेतु सर्वथा उपयुक्त पाया गया तद्संबन्धी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
6	In reply to point no. 13 no correction has been made. State Govt. is requested to go through observation raised in point No.13 of the EDS letter dt. 08.06.2022 and do the needful.	बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि मार्ग पर उत्सर्जित होने वाले मक डिस्पोजल परियोजना कुल 158688.00 घनमीटर हेतु पुनः गठित कर संलग्न कर दी गयी है। (संलग्नक-4)

7	In reply to point no. 15 date and scientific names of the trees are not mentioned. Government is requested to submit the species wise summary of trees enumerated with date of enumeration along withe the scientific names of the trees.	बिन्दु संख्या-07 अवगत कराया गया है कि वृक्षों की गणना सूची में वृक्षों के वैज्ञानिक नाम उल्लेखित कर दिये है एवं species wise summary ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के भाग-1 के एडिशनल कॉलम के कम सं0 41 पर अपलोड कर दिया गया है जिसकी छाया प्रति मय संलग्नकों के प्रेषित किये जा रहे है। (संलग्नक-5)
8	In reply to point no. 16 no correction has made. State Govt. is requested to submit the clarification with respect to the point No 16 of the EDS letter dt. 08-06-2022.	बिन्दु संख्या– अवगत कराया गया है कि Grith wise detail का उल्लेख करते हुए प्रभावित होने वाले वृक्षों के सूची ऑन लाईन परिवेष पोर्टल के भाग–1 के एडिशनल कॉलम के कम सं0 41 पर अपलोड कर दिया गया है जिसकी छाया प्रति मय संलग्नकों के प्रेषित किये जा रहे है। (संलग्नक–6)

भवदीय

(धर्म सिंह भीणा) वन संरक्षक

संख्याः- / दिनांकित। प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(धर्म सिंह मीणा) वन संरक्षक